

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु मुकाम.....

बनाम..... पेमाराध कोठे

किस्म मुकदमा क्र. 111/128 RLR नं. 176/2022 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>25/4/22</p> <p>04/05/2022</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेताराम जाखर</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111/128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>4/05/22</u> को पेश हो।</p> <p><u>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी-जानों के नोटिस तामिल हुआ जस जिसे शामिल पत्रावली प्रिभर जस/विप्रार्थी-जस कावजुस तामिल प्रिभर/न्यायालय समय तीन बार कावज लगाई गई किन्तु कावज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी-जानों स्वयं मा उतरी कोर्ट से नोटिस अधिपत्र उपरिपत्र नहीं हुआ किन्तु विप्रार्थीजानों के विरुद्ध एडवोकेट डायरेक्ट प्रमल में लाई जाती है कि, वास्ते बटुस पत्रावली दिनांक-04/05/2022 को पेश हो।</u></p>	<p>सहायक कलेक्टर (SDO), बायतु जिला - बायतु</p>

सहायक कलेक्टर (SDO), बायतु जिला - बायतु

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

9/5/22

प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित / प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 643

दिनांक : 9/5/22

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. तगाराम पुत्र खुमाराम,
जाति जाट, निवासी गुलजी का तला,
पटवार मण्डल अकदड़ा,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. पेमाराम पुत्र गंगाराम वगैरा 04,
जाति जाट, निवासी गुलजी का तला,
पटवार मण्डल अकदड़ा,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 176 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - गुलजी का तला, पटवार मण्डल - अकदड़ा, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 963/613 रकबा 0.1618 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद / 2022 / 644-48

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री तगाराम पुत्र खुमाराम,
4. विप्रार्थी श्री पेमाराम पुत्र गंगाराम वगैरा 04,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(जगदीश सिंह आशिया)
जिला- बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 9/5/22

उपखण्ड अधिकारी बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु